N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0297 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 19/12/2024 16:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 30/09/2024 Date To (दिनांक तक): 07/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 17:30 बजे Time To (समय तक): 12:20 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/12/2024 Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 19/12/2024 16:37:01 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 1 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): AAROPI KA NIJI KARYALY HANUMAN HATTHA, BIKANER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** LAXMANRAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MOHANLAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1982 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHRUKHEERA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHRUKHEERA, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DINESH GODARA		पिता:BANWARI LAL GODARA	1. TALRIYA BAS GRAM RASISAR,NOKHA,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 30.09.2024 को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक जय कुमार को अपने कक्ष में बुलाकर सामने बैठे व्यक्ति श्री लक्ष्मण राम पुत्र श्री मोहनलाल, जाति नाई, उम्र 42 वर्ष, निवासी गांव भरूखीरा, तहसील व जिला बीकानेर से आपसी परिचय करवाया तथा श्री लक्ष्मणराम द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एवं परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया। प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार से है- "सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर विषय - पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं लक्ष्मण राम पुत्र श्री मोहनलाल, जाति नाई, उम्र 42 वर्ष, निवासी गांव भरूखीरा, तहसील व जिला बीकानेर का निवासी हूं। मेरे ससुर श्री प्रकाश पुत्र श्री हजारीराम नाई, उम्र 66 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 23, नोखा रोड़ शिवा बस्ती बीकानेर के रहने वाले हैं, जिनके नाम से ग्राम 20 जेएमडी, पटवार हल्का बदरासर, तहसील व जिला बीकानेर के मुरब्बा नंबर 210/20 में 6.0695 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि है। जिसमें से मेरे ससुर श्री प्रकाश जी ने मेरी सास श्रीमती संतोष देवी के नाम से 2.5796 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि व मेरे चाचा ससुर श्री जीवनमल नाई के नाम से 1.0116 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि जरिए गिफ्ट डीड दिनांक 06.08.2024 के उपहार स्वरूप दी है। जिसकी दो गिफ्ट डीड उप पंजीयक प्रथम बीकानेर में पंजीबद्ध है। उक्त दोनों गिफ्ट डीड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूं। दिनांक 27.08.2024 को श्री जीवनमल जी के पुत्र श्री गिरधारीलाल मारू द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत पटवार हल्का बदरासर के पटवारी श्री दिनेश गोदारा से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को दोनों मूल गिफ्ट डीड व गिफ्ट डीड की फोटो प्रतियां दी, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मूल गिफ्ट डीड देखकर फोटोप्रति अपने पास रख ली व कहा कि मैं नामान्तरकरण चढा दूंगा। करीब एक माह का समय गुजरने के बावजूद भी श्री दिनेश गोदारा हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया। जिस पर पटवारी से मेरे साला श्री गिरधारीलाल द्वारा नामान्तकरकरण दर्ज बाबत मोबाईल से वार्ता भी की गई, परन्तु हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण दर्ज करने का केवल आश्वासन दिया, क्योंकि मेरे साला श्री गिरधारीलाल द्वारा अपने किसी परिचित से कहलवाने के कारण ना ही उक्त काम किया और मेरे साले गिरधारीलाल के मोबाइल कॉल का उत्तर देना बंद कर दिया। मेरी सास श्रीमति संतोष देवी व मेरे चाचा ससुर श्री जीवनमल द्वारा दोनों गिफ्ट डीड पर नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही करने के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी। जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 27.09.2024 को दोनों गिफ्ट डीड का नामान्तरकरण रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बाबत हल्का पटवारी श्री दिनेश गोदारा से उसके हनुमान हत्था स्थित प्राईवेट कार्यालय में सम्पर्क किया गया तथा दोनों गिफ्ट डीड के नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत पूछा गया तो हल्का पटवारी बदरासर श्री दिनेश गोदारा द्वारा मुझे कहा गया कि उक्त दोनों गिफ्ट डीड की म्यूटेशन चढाने की कार्यवाही करने के लिए कुल 14 बीघा भूमि के 500/-रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 7000/-रूपये खर्चा के लगेंगे। श्री दिनेश गोदारा हल्का पटवारी हमसे रिश्वत के रूपये लिये बिना हमारा नामान्तरकरण दर्ज नहीं करेगा। मैंने मेरे चाचा ससुर श्री जीवनमल नाई तथा मेरी सास श्रीमती संतोषदेवी से इस बारे में बात की तो उन्होंने पटवारी श्री दिनेश गोदारा के खिलाफ ए.सी.बी. डिपार्टमेंट से कार्यवाही करवाने के लिए सहमति दी है। हम श्री दिनेश गोदारा हल्का पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहते हैं तथा उक्त पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री दिनेश गोदारा हल्का पटवारी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही हमारे बीच कोई उधारी का लेन-देन है। अतः श्रीमान जी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 30.09.2024 प्रार्थी, एस.डी. लक्ष्मण राम पुत्र श्री मोहनलाल, जाति नाई, उम्र 42 वर्ष, निवासी गांव भरूखीरा, तहसील व जिला बीकानेर" दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही पुनः दोहराया एवं बताया कि मेरे चाचा ससुर श्री जीवनमल नाई तथा मेरी सास श्रीमती संतोषदेवी से इस बारे में बात की तो उन्होंने पटवारी के खिलाफ ए.सी.बी. डिपार्टमेंट से कार्यवाही करवाने के लिए सहमति दी है। हम श्री दिनेश गोदारा हल्का पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहते हैं तथा उक्त पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री दिनेश गोदारा हल्का पटवारी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही हमारे बीच कोई उधारी का लेन-देन है। उक्त कार्यवाही करवाने के संबंध में मेरी सास श्रीमती संतोष देवी व चाचा ससुर श्री जीवनमल का सहमति पत्र पेश कर दूंगा। मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने अपना आधार कार्ड एक पृष्ठ, श्री प्रकाश पुत्र हजारी राम नाई के द्वारा पत्नि श्रीमती संतोष देवी के पक्ष में गिफ्ट डीड (उपहार विलेख) की प्रति कुल 8 पृष्ठ

व भाई जीवनमल के पक्ष में गिफ्ट डीड (उपहार विलेख) की प्रति कुल 10 पृष्ठ, श्रीमती संतोष देवी व जीवनमल की तरफ से जारी अधिकार पत्र जो परिवादी लक्ष्मणराम के पक्ष में दिनांक 01.10.2024 को जारी के संलग्न उक्त दोनों की आधार कार्ड की फोटो प्रतियां कुल पृष्ठ 3 प्रस्तुत किये जिसे अवलोकन पश्चात् शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। आगामी कार्यवाही के लिए परिवादी श्री लक्ष्मणराम को ट्रैप करवाने सम्बन्धी अपनी सास व चाचा ससुर के अधिकार पत्र चाहे जाने पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने बताया कि मैं अभी अधिकार पत्र साथ नहीं लाया हूं, परंतु ट्रैप कार्यवाही के दौरान अधिकार पत्र अपनी सास श्रीमती संतोष देवी व चाचा ससुर जीवनमल की ओर से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेज व पूछताछ से पटवारी श्री दिनेश गोदारा द्वारा परिवादी श्री लक्ष्मणराम की सास व चाचा ससुर के पक्ष में उपहार विलेख का नामान्तरण रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही करने के लिए 7000 रुपये रिश्वत मांगने संबंधी मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की परिधि में आना प्रथम दृष्ट्या पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी अग्रतर कार्यवाही किया जाना तय किया गया। वक्त 06.30 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम को अग्रिम कार्यवाही हेतु अगले दिन सुबह 10 बजे उपस्थित आने व कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 01.10.2024 के वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम मय श्री गिरधारीलाल के उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री लक्ष्मणराम को रिश्वत की मांग के तथ्यों का सत्यापन करवाने की प्रक्रिया से अवगत करवाया। परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने जाहिर किया कि मैं आज ही पटवारी जी के प्राईवेट ऑफिस में उनसे मिलकर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं उनका प्राईवेट ऑफिस आपके कार्यालय के पास ही है। इस पर श्री हरीराम कानि. 210 से ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय सिमट्रोनिक्स कम्पनी का नया एसडी कार्ड 16 जीबी चौकी हाजा के मालखाना से मंगवाया गया। श्री हरीराम कानि. व परिवादी लक्ष्मणराम का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकार्डर में वार्ता रिकार्ड करने की प्रक्रिया से परिवादी व कानि. को समझाया गया। तत्पश्चात 11.36 ए.एम. पर आरोपी दिनेश गोदारा पटवारी के उपस्थिति की जानकारी बाबत् परिवादी श्री लक्ष्मण राम के साथ आये श्री गिरधारी लाल को पटवारी के प्राईवेट कार्यालय में भिजवाया गया। श्री गिरधारी लाल ने वापिस ब्यूरो चौकी बीकानेर पहुंचकर बताया कि पटवारी अभी अपने प्राईवेट ऑफिस में नहीं है उसके ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। इस पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम को पटवारी के अपने ऑफिस में उपस्थित आने पर सत्यापन वार्ता के लिये उपस्थित आने व अपने साथ अपनी सास व चाचा ससुर की तरफ से कार्यवाही बाबत् अधिकार पत्र प्राप्त कर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाकर रूखस्त किया गया। वक्त 01.32 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री लक्ष्मण राम ने मोबाईल फोन कॉल कर बताया कि आज पटवारी दिनेश गोदारा अपने प्राइवेट कार्यालय नहीं आया है और आगे दो दिन की छुट्टी है इसलिये पटवारी उसके बाद शुक्रवार को बीकानेर आयेगा जिस पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम को हिदायत मुनासिब कर शुक्रवार को उपस्थित आने बाबत् पाबन्द किया गया। दिनांक 04.10.2024 के वक्त 01.40 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने ब्यूरो कार्यालय में आकर बताया कि पटवारी श्री दिनेश गोदारा की आज अपने प्राईवेट कार्यालय में मिलने की पूर्ण सम्भावना है। अतः परिवादी श्री लक्ष्मणराम को श्री हरीराम कानि. 210 की उपस्थिति में मन् पुलिस निरीक्षक की सुरक्षा में रखे डिजीटल वॉयस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाकर वक्त 01.52 पी.एम. पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित किया गया व परिवादी श्री लक्ष्मणराम को संदिग्ध पटवारी दिनेश गोदारा से अपने कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करने तथा वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड कर पेश करने की हिदायत की जाकर मन् पुलिस निरीक्षक की निगरानी में डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू कर श्री हरीराम कानि. 210 द्वारा परिवादी श्री लक्ष्मणराम की पहनी हुई शर्ट की जेब में रखा गया एवं सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री हरीराम कानि. 210 के साथ रवाना किया गया। वक्त 02.10 पी. एम. पर श्री हरीराम कानि. 210 व परिवादी श्री लक्ष्मणराम ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आये व परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने बताया कि पटवारी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं मिला। वहां पर ऑफिस में बैठी महिला पटवारी से पूछने पर उसने बाहर जाना बताया इसलिये हम वापिस आ गये। श्री हरीराम कानि. 210 द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को बन्द करना बताया। परिवादी श्री लक्ष्मणराम व श्री हरीराम कानि. 210 से डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित अपने कब्जा में रखा। मैमोरी कार्ड में उक्त रिकार्ड वार्ता की फाईल नम्बर 241004_1354 सेव है जिसको चालू करके सुना गया तो परिवादी के द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि् हुई आरोपी की कोई वार्ता नहीं होनी पाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री लक्ष्मणराम को पटवारी के अपने प्राईवेट ऑफिस में उपस्थित आने पर पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् हिदायत मुनासिब कर रूखस्त किया गया। दिनांक 07.10.2024 के वक्त 11.50 ए.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम कार्यालय में उपस्थित आया और बताया कि पटवारी आज अपने निजी कार्यालय हनुमान हत्था में मिल सकता है। परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने अपनी सास श्रीमती संतोष व चाचा ससुर श्री जीवणमल की तरफ से स्वंय के पक्ष में लिखा गया अधिकार पत्र पेश किया जिस पर अधिकार पत्र का अवलोकन किया तो अधिकार पत्र दिनांक 01.10.2024 को लिखा गया है जो हस्तलिपि में है जिस पर श्रीमती संतोष देवी व श्री जीवणमल के पासपोर्ट साईज फोटो लगे हुए है तथा श्रीमती संतोष देवी का अंगूठा निशान व श्री जीवणमल के हस्ताक्षर किये हुए है। अधिकार पत्र के संलग्न दोनो के आधार कार्ड की फोटो प्रति लगी हुई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्तानुसार अधिकार पत्र शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। वक्त 12.05 पी.एम. पर

आरोपी पटवारी के मिलने की सम्भावना पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम व श्री हरिराम कानि. न. 210 को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड के सत्यापन हेतु रवाना किया गया जो वक्त 01.05 पी.एम. पर वापिस कार्यालय हाजा उपस्थित आये। डीवीआर बंद हालत में पेश कर श्री हरिराम कानि. 210 ने बताया कि जाते समय पेन्ट की जेब में रखे डीवीआर का स्वीच दबने से डीवीआर चालू हो गई जिसमें मेरी व परिवादी की कुछ वार्ता रिकार्ड हो गई है। डीवीआर के चालू होने का पता लगने पर मेरे द्वारा डीवीआर को बन्द किया गया उसके बाद डीवीआर पुनः चालू कर परिवादी को दिया व संदिग्ध पटवारी की वार्ता सत्यापन कार्यवाही की गई जो डीवीआर में सेव है। परिवादी श्री लक्ष्मण राम ने पटवारी द्वारा उसके काम के लिए दिनांक 21.10.2024 के बाद का समय दिया जाना बताया जिस पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम को वार्ता की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी व सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु कार्यालय में रहने का कहा तो परिवादी ने बताया कि मेरी दुकान पर अभी कोई आदमी नही है मैं बाद में उपस्थित आ जाउगां। जिस पर परिवादी को हिदायत देकर जाने की इजाजत दी गई। दिनांक 09.10.2024 को सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने हेतु परिवादी श्री लक्ष्मणराम को मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये मोबाईल वार्ता कर उपस्थित आने बाबत् कहा तो परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने अपनी दुकान पर जरूरी काम से व्यस्त होने का कहा और इस दिन उपस्थित नही आया। दिनांक 10.10.2024 के वक्त 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम ब्यूरो चौकी में उपस्थित आया। परिवादी श्री लक्ष्मणराम की उपस्थिति में सत्यापन वार्ता के डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर पर कनेक्ट कर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को वार्ताएं सुनायी गई। रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज आरोपी पटवारी की होने की पहचान की। परिवादी को सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराने पर बताया की आज भी मेरी दूकान पर मै अकेला हूं समय अभाव है मै फारिग होकर ट्रांसक्रिप्ट के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। तत्पश्चात दिनांक 18.10.2024 के वक्त 12.40 पी.एम. पर सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार किये जाने हेतु परिवादी श्री लक्ष्मणराम ब्यूरो चौकी में उपस्थित आया। कार्यवाही के क्रम में स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से कार्यालय सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, उत्पादन, वितरण एवं राजस्व उपखण्ड प्रथम, बीकानेर से गवाह तलब करने पर श्री सुनील सिहं कनिष्ठ सहायक एवं श्री संजय सिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। उपरोक्त दोनों कार्मिकों से ब्यूरो की कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनों कार्मिकों ने अपनी-अपनी स्वैच्छिक सहमति प्रदान की। इस पर दोनों कार्मिकों को ब्यूरो की कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह शामिल किया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री लक्ष्मणराम व हरीराम कानि. 210 से परिचय करवाया गया एवं परिवादी श्री लक्ष्मणराम के द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत लिखित शिकायत व की गई सत्यापन कार्यवाही के सम्बन्ध में दोनों स्वतन्त्र गवाहान को अवगत करवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में मन् पुलिस निरीक्षक के कब्जा में सुरक्षित रखे हुए डिजीटल वॉयस रिकार्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को कम्प्यूटर में लगाकर चलाने हेतु श्री हरीराम कानि. 210 के सुपुर्द किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री हरीराम कानि. 210 ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाया जाकर ऑन किया गया। डिजिटल वॉयस रिकार्ड में सेव फाईल नम्बर 241007_1220, फाईल नम्बर 241007_1210 एवं 241004_1354 होना पाया गया। फाईल नम्बर 241007_1220 में परिवादी एवं आरोपी की सत्यापन वार्ता तथा फाईल संख्या 241007_1210 में हरिराम कानि एवं परिवादी की आवाज होना पहचान हुई। उक्त मूल सत्यापन वार्ता की सेव फाईल नम्बर 241007_1220 की ऑडियो फाईल जो 35 मिनट 52 सैकण्ड की है, को चालू कर परिवादी श्री लक्ष्मणराम व स्वतन्त्र गवाहान सर्वश्री सुनील सिहं व संजय सिंह की मौजूदगी में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाना प्रारम्भ किया जाकर समय 3.30 पी.एम. तक फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। फाईल नम्बर 241007_1220 की रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने आवाज की पहचान कर एक आवाज स्वंय की तथा एक आवाज आरोपी श्री दिनेश गोदारा पटवारी की होना पहचान किया। परिवादी श्री लक्ष्मणराम द्वारा आरोपी श्री दिनेश गोदारा पटवारी के प्राईवेट कार्यालय में पहुंचकर उससे वार्ता की गई कुल रिकार्ड वार्ता में 28 मिनट तक अन्य वार्ता होती रही उसके पश्चात् परिवादी के राशि बहुत ज्यादा होने की कहने पर आरोपी पटवारी ने कहा कि मेरे को याद नहीं कितना बताया था इस पर परिवादी द्वारा पुनः पूछने पर आरोपी पटवारी ने अस्पष्ट आवाज में कहा जिस पर परिवादी ने कहा "सात तो यारों सात तो घणी बाकि कीं तो कम करो यार इंयां थोड़ी हुवे सात पूरा ही हूं कठे उं जेब उं देहूं, बे तो हमें मने जमा ही के चार रो केयो मैं कियों इंयां तो कियां केहीजे जार थाने भी" इस पर आरोपी पटवारी ने कहा " बां तो बीं हिसाब उं के दियो हूं के बताउं थाने" जिस पर परिवादी ने कहा " किता है तो कोई बात नी थाने कम बेसी कर दूं और काईं है" इस पर आरोपी पटवारी ने कहा "थे देख लो" और इसके पश्चात् आरोपी पटवारी ने अपनी वार्ता में "आमणे बात हुयडी है बीमें थे देख लो थाने कीं लागे....." , " घणां मांग्या ही कोनी, लोगां उं लेवा बे लिया ही कौनी" "हजार कम दे दो और के है ....." इसके पश्चात् परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने सात हजार रूपये की बजाये छः हजार की बात बोलते हुए 500-500 के 4 नोट गिनकर आरोपी पटवारी को देते हुए कहा "ऐ तो ऐ थारा दो हजार तो राखो, चार हजार और भेज देसूं, कागज मने इरा कद काड अर देओ बीं दिन आउं पछे" आदि वार्ता हुई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में परिवादी श्री लक्ष्मणराम व श्री हरीराम कानि. के बताए अनुसार तथ्यात्मक वार्ता की रिकॉर्डिंग होनी पाई गई जिसका विवरण निम्नानुसार होना पाया गया - S. N. FILE NAME DATE

AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hh.mm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-1) 1 241007_1220 07-10-2024 12.20 4d05281ee65d075bbb62df625a8a77957bbda89b मूल मैमोरी कार्ड में सेव वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से दो पैन ड्राईव तैयार किये जाकर एक पैन ड्राईव को सफेद कपड़े की थैली में सील मोहर कर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ सफेद कपड़े के टैग के साथ खुली अवस्था में रखा गया। रिकार्ड वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से निकाल कर सेफ्टी कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट कर थैली पर भी संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा मैमोरी कार्ड व पेन ड्राईव को मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित कब्जा में रखा। परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने बताया कि आरोपी पटवारी दिनांक 22.10.2024 को अपने प्राईवेट कार्यालय में मेरे से सम्पर्क कर सकता है। इस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्वश्री सुनील सिहं व संजय सिंह के साथ परिवादी को कार्यवाही हेतु राशि की व्यवस्था कर दिनांक 22.10.2024 को प्रातः 10 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर इजाजत दी गई। दिनांक 22.10.2024 के वक्त 10.20 ए.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम व स्वतन्त्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी के अनुसार आरोपी पटवारी अपने प्राईवेट कार्यालय में लगभग 11-12 बजे तक आता है। जिस पर आगामी कार्यवाही हेतु परिवादी व दोनों गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये। वक्त 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने कार्यवाही हेतु 500-500 रूपये के 8 नोट कुल राशि 4000/- रूपये भारतीय मुद्रा के निम्न वर्णन के नोट प्रस्तुत किये - क्र. सं. नोट का विवरण नम्बर नोट 1. एक 500 सौ रूपये का नोट 3GV 074589 2. एक 500 सौ रूपये का नोट 4ML 827999 3. एक 500 सौ रूपये का नोट 0LB 160973 4. एक 500 सौ रूपये का नोट 0AQ 599768 5. एक 500 सौ रूपये का नोट 2QV 093787 6. एक 500 सौ रूपये का नोट 2WV 644699 7. एक 500 सौ रूपये का नोट 5GK 668032 8. एक 500 सौ रूपये का नोट 3FV 518614 परिवादी श्री लक्ष्मणराम द्वारा राशि प्रस्तुत करने पर नियमानुसार स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष राशि पर फिनोफ्थेलीन लगाने की कार्यवाही कर राशि परिवादी श्री लक्ष्मणराम के पर्स में रखी जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात डिजिटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री लक्ष्मणराम को चलाने व बन्द करने की प्रक्रिया से समझाया गया एवं 11.42 ए.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम से डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर उसकी निजी मोटर साईकिल से आरोपी पटवारी के प्राईवेट कार्यालय हनुमान हत्था बीकानेर के लिये रवाना कर परिवादी के पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ श्री बजरंग सिंह सउनि., भगवानदास कानि. एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान जरिये निजी कार मय ट्रेप सामग्री के तथा श्री राजवीर सिंह हैका. 115, राजेन्द्र हैका. 127, अनिल कुमार कानि. 186, मनोहरलाल कानि. 115 एवं हरीराम कानि. 210 जरिये निजी वाहन से रवाना होकर हनुमान हत्था बीकानेर पंहुचे। परिवादी श्री लक्ष्मणराम एक निजी भवन में प्रवेश हुआ व तुरन्त ही वापिस बाहर निकल कर अपनी मोटर साईकिल से बिना इशारा किये रवाना हो गया जिसके पीछे-पीछे हमराही सभी भी परिवादी के पीछे-पीछे वापिस रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे तो परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि वह आरोपी पटवारी के प्राईवेट कार्यालय में गया था वहां ताला लगा हुआ था इसलिये तुरन्त ही बिना इशारा किये वापिस आ गया। आरोपी पटवारी शायद अभी तक अपने कार्यालय में आया नहीं है, कुछ देर बाद पुनः पता लगाकर आरोपी से सम्पर्क करूंगा। इस पर परिवादी व दोनों गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में ही बैठे रहने के निर्देश दिये। वक्त 01.35 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने बताया कि आरोपी पटवारी का कार्यालय कक्ष खुला है, सम्भवतः उपस्थित मिल सकता है जिस पर वक्त 01.40 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम को पुनः आरोपी पटवारी के प्राईवेट कार्यालय हनुमान हत्था बीकानेर के लिये रवाना कर परिवादी के पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ श्री बजरंग सिंह सउनि., भगवानदास कानि. एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान जरिये निजी कार मय ट्रेप सामग्री के तथा श्री राजवीर सिंह हैका. 115, राजेन्द्र हैका. 127, अनिल कुमार कानि. 186, मनोहरलाल कानि. 115 एवं हरीराम कानि. 210 जरिये निजी वाहन से रवाना होकर हनुमान हत्था बीकानेर पंहुचे। परिवादी श्री लक्ष्मणराम पूर्वानुसार उसी निजी भवन में प्रवेश हुआ व कुछ ही देर बाद वापिस बाहर निकला और अपनी मोटर साईकिल से बिना इशारा किये रवाना हो गया जिसके पीछे-पीछे हमराही सभी भी परिवादी के पीछे-पीछे वापिस रवाना होकर पुनः ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये । परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि वह आरोपी पटवारी के प्राईवेट कार्यालय में गया तो वहां अन्य महिला पटवारी व काश्तकार बैठे हुए थे। उसने दिनेश पटवारी का पूछा तो ज्ञात हुआ पटवारी ने बदरासर का चार्ज अन्य पटवारी को दे दिया है वो यहां नहीं है। अब ग्राम बदरासर का चार्ज किसी दूसरे पटवारी के पास है इसकी मुझे जानकारी नहीं मिली है। मैं चार्ज लेन-देन की जानकारी कर लेता हूं। इस पर आरोपी की मौजूदगी एवं पटवार हल्का बदरासर के चार्ज लेन-देन की जानकारी ज्ञात करने हेतु परिवादी को निर्देश दिये। कुछ समय बाद परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने बताया कि पटवारी दिनेश गोदारा द्वारा बदरासर का चार्ज अन्य पटवारी को दे दिया गया है और उसके द्वारा गिफ्टडीड के नामान्तरकरण का कार्य पटवारी दिनेश के पास लम्बित है या उसने कर दिया है, की जानकारी पटवारी श्री दिनेश गोदारा से मोबाईल पर बात करके हो सकती है। जिस पर वक्त 02.49 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने रूबरू गवाहान के परिवादी

श्री लक्ष्मणराम की उसके मोबाईल से आरोपी श्री दिनेश गोदारा पटवारी से स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई और वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से संबंधित हल्का का चार्ज अन्य को देने, परिवादी का कार्य लंबित रहना व काम करवाने का कहना तथा परिवादी के निवेदन अनुसार दिनांक 23.10.2024 को दोपहर में मिलने का कहने के तथ्य आये हैं। दिनांक 22.10.2024 को परिवादी व आरोपी के मध्य लेन-देन होने की कोई संभावना नहीं होने पर रिश्वती राशि 4000/-रूपये मन् पुलिस निरीक्षक ने अपनी सुरक्षा में रखे एवं परिवादी श्री लक्ष्मणराम के मोबाईल से आरोपी श्री दिनेश गोदारा के मोबाईल पर हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री हरीराम कानि. 210 ने डिजिटल वॉयस रिकार्डर कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर ऑन किया। डिजिटल वॉयस रिकार्ड में कुल 4 फाईल सेव होनी पाई गई जिनमें फाईल नम्बर 241022_1142, फाईल नम्बर 241022_1340, 241022_1450, एवं 241022_1451 है। फाईल नम्बर 241022_1450 में मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री लक्ष्मणराम एवं आरोपी श्री दिनेश गोदारा पटवारी की आपस में मोबाईल फोन पर हुई वार्ता है, जिसकी अवधि कुल 25 सैकण्ड की है, को चालू कर परिवादी श्री लक्ष्मणराम व स्वतन्त्र गवाहान सर्वश्री सुनील सिहं व संजय सिंह की मौजूदगी में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। फाईल नम्बर 241022_1450 की रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने आवाज की पहचान कर एक आवाज स्वंय की तथा एक आवाज आरोपी श्री दिनेश गोदारा पटवारी की होना पहचान किया। वार्ता में परिवादी ने आरोपी पटवारी से अपने काम के बारे में पूछा तो आरोपी पटवारी ने चार्ज छोड़ने व परिवादी का काम अन्य पटवारी श्री प्रभू जी को दिया जाना बताया तथा परिवादी का काम 5 तारीख तक करवा देने का आश्वासन दिया व अगले दिन मिलने का समय दिया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में परिवादी श्री लक्ष्मणराम व आरोपी श्री दिनेश गोदारा की फोन पर वार्ता की रिकॉर्डिंग होनी पाई गई जिसका विवरण निम्नानुसार होना पाया गया - S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hh.mm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-1) 1 241022_1450 22-10-2024 14.50 fa89fd921ad5ead3e3dab9607e5fefd571fc976c दिनांक 23.10.2024 के वक्त 11.20 ए.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम व दोनों स्वतंत्र गवाहान संजय सिंह व सुनील सिंह उपस्थित कार्यालय आये। दिनांक 22.10.2024 को मोबाईल पर हुई वार्ता अनुसार आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से मिलने का समय तय होने से परिवादी श्री लक्ष्मणराम को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर श्री हरीराम कानि. 210 के साथ आरोपी पटवारी से वार्ता करने हेतु पटवारी के प्राईवेट कार्यालय हनुमान हत्था बीकानेर रवाना किया परंतु परिवादी का आरोपी पटवारी से सम्पर्क नही हुआ। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चैक किया गया तो उसमें उक्त अवधि की ऑडियो फाईल नम्बर 241023_1146 परन्तु इसमें परिवादी की आरोपी के साथ कोई वार्ता नहीं है। वक्त 01.50 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर श्री हरीराम कानि. 210 के साथ आरोपी पटवारी से वार्ता करने हेतु पुनः रवाना किया परन्तु इस वक्त भी परिवादी का आरोपी पटवारी से सम्पर्क नही हुआ। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चैक किया गया तो उसमें उक्त अवधि की ऑडियो फाईल नम्बर 241023_1352 परन्तु इसमें परिवादी की आरोपी के साथ कोई वार्ता नहीं है। तत्पश्चात वक्त 02.13 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने आरोपी श्री दिनेश गोदारा पटवारी से मोबाईल फोन पर वार्ता की तो पटवारी ने दस मिनट में पहुंचने का कहा जिस पर वक्त 02.22 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम को पटवारी दिनेश से वार्ता करने हेतु डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर श्री हरीराम कानि. 210 के साथ रवाना किया। वक्त 02.40 पी.एम. पर परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने ब्यूरो कार्यालय लौटकर अवगत करवाया कि आरोपी पटवारी अब भी अपने प्राईवेट कार्यालय में उपस्थित नहीं मिला अन्य व्यक्ति ही थे। इस पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चैक किया गया तो उसमें उक्त अवधि की ऑडियो फाईल नम्बर 241023_1423 है परन्तु इसमें परिवादी की आरोपी के साथ कोई वार्ता नहीं है। तत्पश्चात परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष अपने मोबाईल फोन से आरोपी श्री दिनेश गोदारा पटवारी के मोबाईल पर वार्ता की तो पटवारी दिनेश गोदारा ने दिनांक 24.10.2024 को दिन में आने का परिवादी को कहा गया। परिवादी श्री लक्ष्मणराम ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जाहिर किया कि पटवारी दिनेश गोदारा ने पटवार मण्डल बदरासर का चार्ज अन्य पटवारी को दे दिया है जिसके कारण अब उसके पास मेरा कोई कार्य पैन्डिंग नही है, मेरा कार्य कोई अन्य पटवारी ही करेगा। इसलिए मै अब पटवारी दिनेश गोदारा के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नही चाहता हूं, मुझे मेरी राशि 4000/- रूपये लौटाई जावे। इस सम्बंध में परिवादी लक्ष्मणराम सहित मन पुलिस निरीक्षक श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी द्वारा किये गये कथनो से अवगत कराया। परिवादी ने भी पुनः अवगत कराया कि मै अब आगे कार्यवाही नही चाहता हूं। परिवादी श्री लक्ष्मणराम को दिनांक 22.10.2024 एवं 23.10.2024 को सुपुर्द डिजीटल रिकार्डर में कुल सात आडियो फाईल हुई जिसमें फाईल नम्बर 241022_1450 की फर्द ट्रासंक्रिप्ट पूर्व में तैयार कर शामिल कार्यवाही कागजात है । डिजीटल वॉयस रिकार्डर में सेव अन्य फाईलो में परिवादी एवं आरोपी के मध्य कोई वार्ता रिकार्ड नही है। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में स्थापित मूल मैमोरी कार्ड से दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट किया गया तथा एक पैन ड्राईव को सफेद टैग के साथ अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुली अवस्था में रखा गया। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकार्डर से मूल मैमोरी कार्ड को निकालकर मैमोरी कार्ड को सैफ्टी कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सीलचिट कर

थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री लक्ष्मणराम के द्वारा कार्यवाही में प्रयुक्त राशि 4000/- रूपये वापिस लौटाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में रूबरू गवाहान के परिवादी लक्ष्मणराम को 4000/- रूपये की राशि लौटायी गई। उक्त कार्यवाही में वजह सबूत मूल मौमोरी कार्ड एवं तैयार किये गये पैन ड्राईव को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री लक्ष्मणराम द्वारा प्रस्तुत परिवाद व सत्यापन कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री लक्ष्मणराम के ससुर श्री प्रकाश द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सन्तोष व भाई जीवनमल के पक्ष में अपनी भूमि का उपहार विलेख दिनांक 06.08.2024 को किया गया। उक्त उपहार विलेख भूमि का नामान्तरण दर्ज करवाने के लिये परिवादी आरोपी पटवारी दिनेश गोदारा हल्का पटवार बदरासर को कागजात सुपुर्द किये। हल्का पटवारी द्वारा परिवादी का नामान्तरण का कार्य नहीं करने पर पुनः सम्पर्क किया तब पटवारी ने 14 बीघा भूमि के 500 रूपये प्रति बीघा के हिसाब से 7000 रूपये की मांग की जिस पर परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया, साथ ही उपर्युक्त कार्यवाही के लिए परिवादी श्री लक्ष्मणराम द्वारा अपनी सास व चाचा ससुर की ओर से जारी अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी पटवारी श्री दिनेश गोदारा द्वारा पूर्व में मांगे गये सात हजार रूपये के स्थान पर परिवादी द्वारा राशि कम करने के निवेदन पर आरोपी श्री दिनेश गोदारा द्वारा कहा गया कि ज्यादा तो मांगे ही नही लोगो से लेते हैं उतने लिए ही नही और कहा कि हजार कम दे दो और क्या हैं। इस प्रकार आरोपी श्री दिनेश गोदारा पटवारी द्वारा सात हजार रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के निवेदन पर एक हजार रूपये कम कर छः हजार रूपये लेने हेतु सहमत होकर दो हजार रूपये वक्त सत्यापन परिवादी से उसके काम के ऐवज में प्राप्त किये व शेष चार हजार रूपये बाद में काम होने पर लेना तय किया। इस प्रकार आरोपी श्री दिनेश गोदारा पुत्र श्री बनवारी लाल गोदारा, उम्र 25 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी तालरिया बास ग्राम रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर हल्का पटवारी बदरासर, तहसील व जिला बीकानेर हाल हल्का पटवारी, पटवार मण्डल कावनी का उपर्युक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया गया। अतः उक्त आरोपी श्री दिनेश गोदारा पटवारी, पटवार हल्का बदरासर तहसील व जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवामें वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन सादर प्रेषित है। (जय कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर।..........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जय कुमार, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) में आरोपी श्री दिनेश गोदारा पुत्र श्री बनवारी लाल गोदारा, उम्र 25 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी तालरिया बास ग्राम रासीसर तहसील नोखा जिला बीकानेर हल्का पटवारी बदरासर, तहसील व जिला बीकानेर हाल हल्का पटवारी, पटवार मण्डल कावनी के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री आदनंद मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 210 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1642-45 दिनांक 19-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2- जिला कलक्टर, बीकानेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Anand Mishra **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]2/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	04/04/1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)